

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 842/15

संस्थित दिनांक-02.11.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. महेंद्रसिंह पुत्र मकरन्दसिंह तोमर उम्र 25 साल

निवासी ग्राम सर्वा

2. गिराज पुत्र दाताराम गौड़ उम्र 23 साल

निवासी ग्राम सर्वा, हाल श्रीराम कालोनी गोहद चौराहा

3. सुखराम पुत्र गंगासिंह चौहान उम्र 39 साल

निवासी शेखपुर बुरुर्ग थाना कुठौन्द जिला जालौन उ०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 05.12.16 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-380, 457 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.08.15 रात्रि 12 से 4 बजे के मध्य स्थान फरियादी का घर ग्राम बूटी कुईया में फरियादी के स्वामित्व व आधिपत्य के सोने चांदी के जेवरात, मोबाईल व नगदी रुपये उसकी बिना सहमति के उसके घर कमरे से बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया तथा सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए फरियादी के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेशकर रात्रि प्रच्छन्न ग्रह अतिचार का अपराध किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 06.08.15 को दरम्यानी रात फरियादी भगवानसिंह जाटव खाना खा पीकर सोया था। रात करीब 12 बजे जब उसकी पत्नी जागी और बच्चे को लेटरिन कराकर सो गयी। सुबह करीब 5 बजे जागे तो कमरे का ताला व दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो सूटकेश में से सोने के फूल एक जोड़ी, एक जोड़ी बाला सोने के, चांदी की तोडिया बच्चों की, स्पाईस कंपनी का मोबाईल, एक नोकिया कंपनी का मोबाईल व पांच हजार रुपये कोई अज्ञात चोर मकान की दीवाल से चढ़कर ताला खोलकर चुरा ले गया। फरियादी के भतीजे रामसिंह ने बताया कि उसके कमरे में रखी गुल्लक से दो हजार रुपये व इंटैक्स कंपनी का मोबाईल

चुरा ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क०-187/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक, मेमोरेण्डम, जब्तीकर जब्ती पत्रक बनाए गए। जब्तशुदा संपत्ति की शिनाख्त कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण ने दि० 06.08.15 रात्रि 12 से 4 बजे के मध्य स्थान फरियादी का घर ग्राम बूटी कुईया में फरियादी के स्वामित्व व आधिपत्य के सोने चांदी के जेवरात, मोबाईल व नगदी रुपये उसकी बिना सहमति के उसके घर कमरे से बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए फरियादी के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेशकर रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार का अपराध किया। ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में भगवानसिंह अ०सा० 1, रामसिंह अ०सा० 2, अशोक कुमार अ०सा० 3, राघवेन्द्र अ०सा० 4, मूलचंद अ०सा० 5, सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 6, रामेश्वर अ०सा० 7 व चंदनसिंह अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

6. फरियादी भगवानसिंह अ०सा० 1 तथा रामसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 5-6.08.2015 की दरम्यानी रात की बताते हैं और भगवानसिंह अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि वे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर पर सो रहे थे। सुबह पांच बजे जागकर देखा तो दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था, कान के सोने के फूल, नाक की लॉग, कान के बाला, दो जोड़ी लेडीज (जनाना) तोडिया, एक जोड़ी बच्ची की तोडिया, पांच हजार नगद, स्पाईस कंपनी का मोबाईल, एक नोकिया कंपनी का मोबाईल तथा भाई का इंटैक्स कंपनी का मोबाईल चोरी हो गया। साक्षी यह कथन करते हैं कि रिपोर्ट प्र०पी० 1 उन्होंने थाना गोहद चौराहे पर की थी जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं, नक्शामौका प्र०पी० 2 उसके सामने बनाए जाने का कथन करते हुए उस पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं। रामसिंह अ०सा० 2

अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे घटना के समय सो रहे थे और सोते में किसी ने उनका मोबाईल चुरा लिया और घर के मंदिर की गुल्लक से करीब दो हजार रुपये निकाल लिए, घर का सामान कमरे में बिखरा दिया था। अपने चाचा भगवानसिंह के घर में भी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए जाने के संबंध में कथन करते हैं। इस प्रकार से दोनों साक्षी घटना दिनांक 05-06.08.2015 की दरम्यानी रात में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के संबंध में कथन करते हैं। प्रकरण में साक्षीगण भगवानसिंह अ०सा० 1 व रामसिंह अ०सा० 2 को अभिकथित दिनांक को उनके यहां से चोरी होने के संबंध में किए गए कथन को कोई चुनौती नहीं दी गयी। उक्त दोनों साक्षियों के कथन घटना दिनांक को उनके घर से चोरी होने के संबंध में चुनौती विहीन रहे हैं। ऐसे में प्र०पी० 1 व 2 के दस्तावेजों से भी उनकी पुष्टि हो रही है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 05-06.08.2015 की दरम्यानी रात को फरियादी भगवानसिंह व रामसिंह के मानव निवास से चोरी कारित हुई थी।

7. प्रकरण में फरियादी भगवानसिंह अ०सा० 1 व रामसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में किसी को चोरी करते हुए देखना एवं किसी पर संदेह होने के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट अज्ञात चोर के संबंध में लेख की गयी है ऐसे में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई भी साक्षी उपलब्ध नहीं है जो अभियुक्तगण को अभिकथित घटना दिनांक व सुसंगत समय पर चोरी करते हुए देखने का अथवा चुराई हुई संपत्ति को ले जाते हुए अभियुक्तगण को देखने का कथन करते हों। ऐसी दशा में अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है। सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 6 जो कि अनुसंधानकर्ता हैं, वे कथन करते हैं कि दिनांक 06.08.15 को वे सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्हें उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। यह कथन करते हैं कि उन्होंने फरियादी की निशांदाही पर नक्शामौका प्र०पी० 2 बनाया जिसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। दिनांक 06.09.15 को अभियुक्त महेन्द्र को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर धारा 27 का मेमोरेण्डम प्र०पी० 9 बनाए जाने इसी प्रकार से उसी दिनांक को अभियुक्त गिराज व सुखराम को अभिरक्षा में लेकर धारा 27 का मेमोरेण्डम क्रमशः प्र०पी० 10 व 11 बनाए जाने जिन पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। यह कथन करते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा बी से बी भाग पर अपराध की विषय वस्तु अभियुक्तगण के द्वारा छिपाए जाने के संबंध में तथ्य स्वीकार किए जाने के संबंध में कथन करते हैं। अभियुक्तगण को उसी दिनांक को गिरफ्तार कर उनके गिर० पत्रक क्रमशः प्र०पी० 3 लगायत 5 बनाए जाने का कथन करते हैं जिन पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

8. सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 6 द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्होंने अभियुक्तगण से मेमोरेण्डम प्र०पी० 9 लगायत 11 से प्राप्त जानकारी के आधार पर महेन्द्र के बताए अनुसार मकान के बक्से से पेश करने पर स्पाईस कंपनी का मोबाईल जब्त किया था जिस पर सी से सी भाग पर अपने

हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार से अभियुक्त सुखराम के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके बहनोई उदयभान तोमर के गौडा ग्राम सर्वा से पेश करने पर एक जोड़ी सोने जैसे कानों के फूल प्र०पी० 7 के अनुसार जब्त किए थे जिसके सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। आरोपी गिर्राज से प्राप्त जानकारी के आधार पर सतीश गौड के किराए के मकान से श्रीराम कोलोनी गोहद चौराहा से साक्षियों के समक्ष पेश करने पर सफेद रंग का इंटैक्स मोबाईल प्र०पी० 8 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्त किए जाने जिन पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

9. प्रकरण में अभियुक्तगण से लिए गए धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन व जब्ती के साक्षी के रूप में अशोक अ०सा० 3 व राघवेन्द्र अ०सा० 4 परीक्षित कराए गए हैं। उक्त साक्षीगण अभियुक्तगण को जानना बताते हैं। अशोक अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि शायद नवंबर 2015 की बात है चोरी अगस्त 2015 में हुई थी वह गोहद चौराहे पर उस समय था जब आरोपीगण को गोहद चौराहे पर पुलिस पकड़कर लाई थी तो वहां पर भब्ड (चहल पहल) हो रहा था, साक्षी देखने पहुंचे थे तो आरोपीगण से सामान जब्त हुआ था। साक्षी कान के फूल, एक जोड़ी बाला, नाक की लोंग, दो जोड़ी चांदी की तोडिया, दो मोबाईल व अन्य सामान जब्त होना बताते हैं और अभियुक्तगण को लॉकअप में बंद कर देने का कथन करते हैं। प्र०पी० 3 लगायत 11 के दस्तावेजों पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार से साक्षी राघवेन्द्र अ०सा० 4 यह कथन करता है कि जब वह गोहद चौराहा थाने में गया था तो आरोपीगण बैठे हुए थे पुलिस ने कहा था कि चोर पकड़ लिए हैं, टेबिल पर कुछ सामान कान के बाला, कान के फूल, नाक की लोंग, दो जोड़ी चांदी की तोडिया, दो मोबाईल थे। साक्षी प्र०पी० 3 लगायत 11 पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में उनके समक्ष अभियुक्तगण से पूछताछ करने और उनकी निशांदाही पर प्र०पी० 6 लगायत 8 के अनुसार जब्ती किए जाने के सुझाव से इंकार करते हैं, यद्यपि अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करते हैं।

10. प्रकरण में सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 6 यह बताते हैं कि दिनांक 08.09.15 को उन्होंने अभियुक्तगण से पूछताछ कर पुनः उनके धारा 27 के मेमोरेण्डम प्र०पी० 12 लगायत 14 लिए थे जिनमें अभियुक्तगण द्वारा विनिर्दिष्ट बी से बी भाग में अभियुक्तगण द्वारा सर्वा स्कूल के पीछे दीवाल के बगल जमीन में पोलीथीन की थैली में रखकर एक जोड़ी तोडिया एवं एक सोने की लोंग गाड़ देने का कथन किया था तत्पश्चात् अभियुक्तगण के साथ जाकर प्र०पी० 15 के अनुसार जब्ती करते हुए उस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर कर नमूना सील अंकित किए जाने का कथन किया है। दिनांक 08.09.15 की कार्यवाही अभियुक्तगण के पुलिस अभिरक्षा के दौरान की गयी है जिसके साक्षी मूलचंद अ०सा० 5 व चंदनसिंह अ०सा० 8 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

11. मूलचंद अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि अभियुक्तगण चोरी करके भाग रहे थे उन्हें मुंशीसिंह के पुरा के पास गिरा किया था और बाद में उन्हें थाने लाए थे, वे प्र०पी० 12 लगायत 15 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में पूछे जाने पर इंकार करते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा यह बताया गया था कि एक जोड़ी तोड़िया बचकानी और एक लॉग सोने जैसी पीली सर्वा स्कूल के पीछे जमीन में गाड़ दी थी बरामद करा देते हैं और उसी के आधार पर प्र०पी० 15 के अनुसार सर्वा स्कूल के पीछे दीवाल के पास जमीन से निकालकर अभियुक्तगण के पेश करने पर प्र०पी० 15 के जब्ती पत्रक अनुसार उक्त संपत्ति जब्त की थी जिस पर जब्ती पत्रक प्र०पी० 15 बनाया गया था। इसी तथ्य के संबंध में चंदनसिंह अ०सा० 8 यह कथन करते हैं कि अभियुक्तगण से पुलिस ने उनके सामने पूछताछ की थी जिसमें उन्होंने संपत्ति चुराने का कथन किया था। मेमोरेण्डम प्र०पी० 12 लगायत 14 पर डी से डी भाग पर व प्र०पी० 15 के जब्ती पत्रक अनुसार एक चांदी की लर व बाला जब्त करने का कथन करते हुए डी से डी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताए हैं। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही करते हुए सूचक प्रश्नों में अभियुक्तगण से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर एक तोड़िया बचकानी व एक सोने की लॉग सर्वा स्कूल के पीछे प्लास्टिक की पोलीथीन में दीवाल के बगल से गाड़ दिए जाने के संबंध में कथन किया था तो साक्षी ने उसे स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण से उक्त संपत्ति जब्तकर पंचनामा बनाया गया था। इस प्रकार से उक्त दोनों साक्षियों ने सूचक प्रश्नों में प्र०पी० 12 लगायत 14 के ज्ञापन व प्र०पी० 15 के जब्ती पत्रक अनुसार अभियुक्तगण की निशांदेही पर संपत्ति की जब्ती होने के संबंध में तथ्यों का समर्थन किया है। अभियुक्तगण का यह तर्क है कि साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं ऐसे में उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध म०प्र० राज्य ए०आई०आर०-1991 एस०सी०-1853** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य वाश आउट नहीं हो जाती है, जितना मामला अभियोजन का समर्थन करता है वह प्रमाणित हो सकता है। इसी प्रकार से न्यायदृष्टांत **हिमाचल प्रदेश विरुद्ध ओमप्रकाश ए०आई०आर० 1972 एस०सी०-975** भी अवलोकनीय है।

12. प्रकरण में अभियुक्तगण से प्राप्त जानकारी के आधार पर फरियादी की चोरी हुई संपत्ति अभियुक्तगण के आधिपत्य से जब्त होना प्रमाणित किया गया है। भगवानसिंह अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उनसे एवं भतीजे रामसिंह के सामने महर्षि कॉलेज में ग्राम कनीपुरा के सरपंच रामेश्वर कुशवाह के सामने सामान की शिनाख्त कराई गयी जिसमें दो मोबाईल इंटेक्स और स्पार्स कंपनी के पहचान गया था व उसकी माँ के सोने के कान के फूल, नाक की लोंगे, तोड़िया बचकानी, कानों के बाला सोने के पहचाने थे। साक्षी शिनाख्त पंचनामा प्र०पी० 17 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करता है और उक्त शिनाख्त सूचक प्रश्नों में दिनांक 27.

10.15 को होने का कथन करता है। रामसिंह अ०सा० 2 भी अपने अभिसाक्ष्य में इसी प्रकार से शिनाख्त की पुष्टि करता है और सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। साक्षी रामेश्वर अ०सा० 7 जो ग्राम कनीपुरा का सरपंच है वह बताता है कि प्र०पी० 17 के शिनाख्त मेमो पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं किन्तु साक्षी उसके सामने फरियादी भगवानसिंह द्वारा शिनाख्त किए जाने के संबंध में तथ्य से इंकार करता है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र०पी० 17 पर रामेश्वर अ०सा० 7 ने अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर स्वीकार किए हैं, यद्यपि उक्त हस्ताक्षर थाने में करना बताए हैं परंतु फरियादी प्र०पी० 17 का दस्तावेज महर्षि कॉलेज में तैयार किए जाने का कथन करता है।

13. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया है कि उन्हें प्रकरण में रंजिशन फंसाया है वे निर्दोष हैं। यहां यह तथ्य विचार योग्य है कि फरियादी को एवं साक्षी मूलचंद अ०सा० 5 व चंदनसिंह अ०सा० 8 किस प्रकार से रंजिशन के कारण उनके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन किए हैं उसके संबंध में कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया और न ही ऐसा कोई सुझाव दिया गया। सुरेशदत्त अ०सा० 6 जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण से अपराध की विषय वस्तु तथा चोरी गया सामान जब्त करना बताते हैं वे अभियुक्तगण को असत्य रूप से क्यों लिप्त करते इसका कोई आधार अभिलेख पर नहीं हैं। साक्षियों की साक्ष्य में जो छोटे मोटे विरोधाभास हैं वे घटना के पुराने होने तथा कई संपत्तियों की जब्ती से भुलावे में पड़ने के संबंध में सूक्ष्म प्रकृति के हैं। उनके आधार पर अभियुक्तगण का अपराध संदिग्ध नहीं हो जाता है।

14. न्यायालय का ध्यान न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टांत- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाय सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

15. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्तगण के

आधिपत्य से फरियादी भगवानसिंह व रामसिंह के चोरी हुए सामान की जब्ती की गयी। अभियुक्तगण को इस संबंध में स्पष्टीकरण करना चाहिए था कि उनके पास उक्त चुराई हुई संपत्ति किस प्रकार से पहुंची। ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्तगण ने ही घटना दिनांक 05-06.08.2015 की दरम्यानी रात को फरियादी भगवानसिंह के घर में जो निवास व संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयुक्त होता है, रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार या ग्रहभेदन कारित करते हुए उसके कमरे में से सोने चांदी के जेवरात, मोबाईल व नगदी बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 380 एवं 457 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

16. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।

17. अभियुक्तगण को फरियादी के मकान में जो मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयोग होता है, में प्रवेशकर चोरी करने का दोषी पाया गया है। ऐसे में उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

18. अभियुक्तगण एवं उसके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के मजदूर एवं ग्रामीण होने के आधार पर उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

19. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 380 एवं 457 के अधीन प्रत्येक धारा में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व पांच सौ-पांचसौ रुपये के अर्थदण्ड (प्रत्येक अभियुक्त को एक हजार रुपये के अर्थदण्ड) से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्ति की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण द्वारा निरोध में व्यतीत अवधि दी गयी सजा से मुजरा की जावे।

20. अभियुक्तगण को दी गयी दोनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जावें।

21. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

22. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
23. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में यदि कोई हो तो धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश